संख्या– 468/V-2/13(एल0यू0सी0)/2019

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

2– आयुक्त,
गढवाल/कुमायूं मण्डल
पौड़ी/नैनीताल।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2019

विषय : महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया हेतु निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1895/V/आ–2016–11(एल0यू0सी0)03/2016 28 दिसम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन किए जाने की प्रक्रिया एवं शुल्कों का निर्धारण किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

1. भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक द्वारा आवेदन संबंधित प्राधिकरण तथा ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (यथा गढ़वाल मण्डल से सम्बन्धित प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्यालय, गढ़वाल मण्डल, देहरादून तथा कुंमाऊ मण्डल से सम्बन्धित प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्यालय, कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी) को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भूमि के मालिकाना अधिकार संबंधी अभिलेख तथा महायोजना में प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड का की–प्लान भी उपलब्ध कराना जाना आवश्यक होगा।

2. ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय गढ़वाल मण्डल, देहरादून (गढ़वाल मण्डल से आच्छादित प्राधिकरण) तथा क्षेत्रीय कार्यालय कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी (कुमाऊ मण्डल से आच्छादित प्राधिकरण) द्वारा संबंधित प्रकरणों पर अपनी तकनीकी आख्या/अभिमत मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. संबंधित प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा। उक्त बोर्ड की बैठक में संबंधित प्रकरण पर मुख्य नगर नियोजक की तकनीकी आख्या/अभिमत भी बोर्ड के सम्मुख रखी जायेगी। सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर न्यूनतम मानक के सापेक्ष भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड की स्पष्ट संस्तुति सहित प्राधिकरण का अभिमत एवं नगर नियोजक के अभिमत को सम्मिलित करते हुए सारगर्भित, तथ्यात्मक एवं स्पष्ट प्रस्ताव उडा के माध्यम से निम्न निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा –

1	2	3	4	5	6	7
क्रम सं0	वांछित भू–उपयोग परिवर्तन हेतु भूमि का विवरण, वर्तमान में निर्धारित भू–उपयोग आदि	वांछित भू–उपयोग परिवर्तन	सुसंगत शासनादेश इस हेतु निर्धारित मानक/शुल्क	मुख्य नगर नियोजक का स्पष्ट अभिमत/संस्तुति	प्राधिकरण का अभिमत	कालम 5, 6 में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण एवं मुख्य नगर नियोजक के अभिमत सहित बोर्ड का अभिमत

4. उपरोक्तानुसार उडा द्वारा उपलब्ध कराये गये समेकित प्रस्ताव पर शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या– /V-2/2019–13(एल0यू0सी0)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
3– उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
4– सहयुक्त नियोजक, कुमायू सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी।
5– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव